



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102021-230167
CG-DL-E-05102021-230167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3698]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943

No. 3698]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 4032(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61(अ) तारीख 27 दिसम्बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 60 तारीख 02 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 07 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : क्रिष्णागिरि		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क्रिष्णागिरि	कात्रिकोंडा	576/1	00	06
2		.	554/1	00	04
3			633/3	00	03
4			648	00	07
5	क्रिष्णागिरि	चित्याला	769/1	00	06
6			762/1	00	02
7			401/2	00	06
8			453	00	03
9			483	00	01
10			498/2	00	05
11			501/2	00	01
12			522	00	06
13			520	00	16
14			519/1B	00	01
15			516	00	01
16			629	00	04
17			625	00	02
18			801/1	00	01
19	क्रिष्णागिरि	कंबालापाडु	243	00	02
20			240	00	14

21			526	00	05
22	क्रिष्णागिरि	क्रिष्णागिरि	445	00	52
23			457	00	01
24			459	00	17
25			464	00	02
26			467A	00	01
27	क्रिष्णागिरि	एरागुडीईनाम	118	00	01
28			93	00	03
29			89/1	00	01
30			81	00	01
मंडल : कोडुमुर		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोडुमुर	एरादोडुडी	99	00	08
2			97	00	02
3			72	00	05
4	कोडुमुर	अनुगोडा	71	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 4032(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.61 (E) dated 27th December 2019, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.60 dated the 02th January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 07 February 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Krishnagiri		Dist : Kurnool		State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Krishnagiri	Katarikonda	576/1	00	06
2		.	554/1	00	04
3			633/3	00	03
4			648	00	07
5	Krishnagiri	Chityala	769/1	00	06
6			762/1	00	02
7			401/2	00	06
8			453	00	03
9			483	00	01
10			498/2	00	05
11			501/2	00	01
12			522	00	06
13			520	00	16
14			519/1B	00	01
15			516	00	01
16			629	00	04
17			625	00	02
18			801/1	00	01
19	Krishnagiri	Kambalapadu	243	00	02

20			240	00	14
21			526	00	05
22	Krishnagiri	Krishnagiri	445	00	52
23			457	00	01
24			459	00	17
25			464	00	02
26			467A	00	01
27	Krishnagiri	Yerragudi Inam	118	00	01
28			93	00	03
29			89/1	00	01
30			81	00	01
Mandal: Kodumur		Dist : Kurnool		State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kodumur	Yerradoddi	99	00	08
2			97	00	02
3			72	00	05
4	Kodumur	Anugonda	71	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.